



ग्राम विकास अधिकारियों का एकमात्र संगठन
(विभागीय मान्यता प्राप्त)

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी) जयपुर

Website- www.gramvikasadhikari.org, E-Mail : rpdo.raj@gmail.com, Mob. 9829092714

क्रमांक :-

दिनांक :- 09.10.2024

—:: ज्ञापन ::—

माननीय मन्त्री महोदय,
पंचायतीराज विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय,
पंचायतीराज विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :- राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करवाने बाबत्।

संदर्भ :- ग्राम विकास अधिकारी संघ एवं शासन के मध्य हुए समझौता दिनांक 01 अक्टूबर 2021, 11 दिसंबर, 2021, 6 सितंबर, 2022 एवं 6 मई, 2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम विकास अधिकारी संघ अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के कारण ग्रामीण प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की पलैगशिप योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में लागू करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ अपने मांग पत्र को पूर्ण करवाने को लेकर विगत सरकार में 05 वर्षों तक लगातार संघर्षरत रहा है। संगठन द्वारा शासन एवं सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए बार-बार आंदोलन भी किए गए, जिस पर तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, माननीय मंत्री महोदय एवं विभाग स्तर पर संवर्ग की मांगों पर सहमतियां व्यक्त करते हुए लिखित एवं मौखिक संदर्भित समझौते तो किए गए लेकिन एक भी मांग पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे ग्राम विकास अधिकारी संघ में बहुत अधिक असंतोष एवं निराश व्याप्त रही है।

श्रीमान जी ग्राम विकास अधिकारी संघ को अपनी न्याय संगत मांगों के समाधान के लिए आपसे बहुत अधिक आशा एवं विश्वास है।

अतः आपसे सादर आग्रह है कि संलग्न मांग पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सकारात्मक आदेश जारी करवा कर अनुग्रहित करें।

सादर।

संलग्न :-

1. मांग पत्र

भवदीय

S2: B

(शिवराज चौधरी)
प्रदेश महामन्त्री

राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ, जयपुर

HP21M

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रदेश अध्यक्ष

राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ, जयपुर



ग्राम विकास अधिकारियों का एकमात्र संगठन
(विभागीय मान्यता प्राप्त)

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी) जयपुर

Website- www.gramvikasadhi.org, E-Mail : rvo.raj@gmail.com, Mob. 9829092714

—:: मांग पत्र ::—

- ग्राम विकास अधिकारी पद की शैक्षणिक योग्यता, पदीय महत्वता एवं दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम विकास अधिकारी संघर्ग का प्रारम्भिक वेतन लेवल-6 (ग्रेड पे 2400) के स्थान पर लेवल-10 (ग्रेड पे 3600) किया जावे।
- ग्राम विकास अधिकारी संघर्ग के पदोन्नति के अत्यंत न्यून अवसरों में बढ़ोतरी के लिए बार-बार हुए समझौतों की पालना में प्रक्रियाधीन पद सृजन की पत्रावली पर शीघ्र आदेश जारी करवाए जावे।
- ग्राम विकास अधिकारी संघर्ग की विगत पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) की लंबित पदोन्नतियां करवाई जावे तथा रिव्यू डीपीसी की बैठक आयोजित करवा कर वर्षों से बंद लिफाफा एवं डेफर प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जावे।
- विभागीय आदेश क्रमांक 1373 दिनांक 21.07.2023 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति में उल्लेखित प्रावधानों की पालनार्थ प्रशासनिक तैयारियां यथा एस एस ओ आईडी से आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर लिंक जुड़वाना, जिलों से रिक्त पदों की सूचना मंगवाना आदि कार्यवाही करवाई जावे जिससे राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाए जाने पर सुगमता से स्थानांतरण नीति की पालना में अंतर जिला स्थानांतरण किया जा सके।
- ग्राम विकास अधिकारी संघर्ग के अतिरिक्त पंचायत भत्ता एवं विशेष कार्य भत्ता में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया था। विगत 4 वर्षों से इन भत्तों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः ग्राम विकास अधिकारी संघर्ग के अतिरिक्त पंचायत भत्ते को 3750 से बढ़ाकर 8000/- रुपए एवं विशेष कार्य भत्ते को 2250 रुपए से बढ़ाकर 5000/- रुपए किया जावे।
- उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पालना में ग्राम विकास अधिकारी संघर्ग को लगभग समस्त राजकीय अवकाशों को कार्यालय में उपस्थित रहना पड़ता है। ऐसे में जो ग्राम विकास अधिकारी बाहर के जिलों में पदस्थापित हैं वह महीनों तक अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्राम विकास अधिकारियों को भी अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व के निर्वहन में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अन्य समकक्ष संघर्गों को उनके विभाग स्तर से राजकीय अवकाश के उपयोग के बदले में क्षतिपूर्ति अवकाश (सीसीएल) दिए जाने का प्रावधान है। अतः पंचायती राज संस्थाओं में भी क्षतिपूर्ति अवकाश (Compensatory Casual Leave) स्वीकृत करने के आदेश जारी किए जावे।
- समेकित वेतन पर कार्यरत 42 डी. आर. डी. ए. कार्मिकों को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति तिथी से नियमित करते हुए समस्त परिलाभ स्वीकृत किये जावे।
- ग्राम विकास अधिकारी भर्ती – 2021 के लगभग 650 पदों की लंबित प्रतीक्षा सूची के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन याचिका में प्रभावी पैरवी करवाकर प्रतीक्षा सूची शीघ्र जारी करवाई जावे।
- विभागीय योजनाओं यथा स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन योजना में स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में आ रही जटिलताओं को शीघ्र दूर करवाया जावे तथा विभिन्न ऑनलाइन कार्य सहित महत्वपूर्ण योजनाओं का ग्राम विकास अधिकारी संघर्ग को विधिवत प्रशिक्षण करवाया जावे।

S2: B

(शिवराज चौधरी)

प्रदेश महामन्त्री

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ, जयपुर

MP21/म

(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रदेश अध्यक्ष

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ, जयपुर